लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2483
जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अगस्त, 2021 को दिया जाएगा

बफर स्टॉक का भंडारण

2483 श्री बी.एन. बचेगौडा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बफर स्टॉक के भंडारण की मात्रा का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत दालों के प्रस्तावित बफर स्टॉक के प्रबंधन और किसी भी वर्ष फसल के नुकसान के कारण भोजन की कमी तथा आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए एक संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) खाद्यान्नों और दालों के संबंध में स्टॉक की मात्रा निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	**मद**	**मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)**
	खाद्यान्न*	
1.	गेहूं	603.56
2.	चावल	296.89
	दालें #	
3.	तूर	3.83
4.	उड़द	0.70
5.	चना	15.84
6.	मसूर	0.32
7.	मूंग	2.02

* दिनांक 01.07.2021 को स्टॉक की स्थिति
# दिनांक 27.07.2021 को स्टॉक की स्थिति

(ख) और (ग): केन्द्रीय सरकार के पास सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल (पी.पी.पी) के तहत दालों के बफर स्टॉक का प्रबंधन करने के लिए किसी संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसान/किसान संघों से प्रत्येक वर्ष दालों का अधिप्रापण किया जाता है और इसके उपरांत इन स्टॉकों को कल्याणकारी और पोषण योजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की जाती है और खुले बाजार विक्रय के माध्यम से निपटान किया जाता है ताकि मूल्यों में नरमी लाई जा सके।

*****